राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे– ।।/

दिनांक :– 03/03/14

आदेश संख्या 396 /2013–14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदौन्नति हेतु गठित विभागीय पदौन्नति समिति वर्ष 2008–09 की बैठक में श्री रामपाल सिंह मीणा कनिष्ठ लेखाकार (331/89) जन्म तिथी 01.01.1957 के विरूद्ध विचाराधीन सीसीए नियम 16 के तहत विचाराधीन जांच प्रकरण में निर्णय दिनाक 31.3.2009 के द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं होने के प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण विभागीय पदौन्नती समिति 2008–09 के द्वारा श्री रामपाल सिंह मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (331/89) को 2008–09 की रिक्ती के विरूद्ध लेखाकार के पद पर चयन मानते हुए नियमित चयन आदेश तथा पदस्थापन जारी किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

श्री रामपाल सिंह मीणा की वरिष्ठता वर्ष 2008–09 में चयनित लेखाकारों की सूची में श्री देवी सिंह मीणा (मेरिट नम्बर 330/89) तथा श्री हरिसिंह मीणा (मेरिट नम्बर 332/89) के मध्य रहेगी।

श्री रामपाल सिंह मीणा को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि 31.03.2009 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रंखला में वेतन निर्धारण के केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री रामपाल सिंह मीणा कनिष्ठ लेखाकार कोषालय भरतपुर को पदौन्नति पर लेखाकार के अस्थाई क्रमोन्नत पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा ।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक:– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे– ।।/20148-55

दिनांक :– 03/03/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. कोषाधिकारी, भरतपुर
2. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–।।) को भेजकर निवेदन है कि श्री रामपाल सिंह मीणा कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें ।
3. एसीपी (उपनिदेशक–कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड
4. निजी सहायक निदेशक महोदय
5. गोपनीय/डी.पी.सी/कम्प्युटर अनुभाग
6. श्री रामपाल सिंह मीणा कनिष्ठ लेखाकार कोषालय भरतपुर
7. निजी पत्रावली/ रक्षित पंजिका

(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1